रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072023-247669 CG-DL-E-28072023-247669

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3233] No. 3233] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 27, 2023/श्रावण 5, 1945 NEW DELHI, THURSDAY, JULY 27, 2023/SHRAVANA 5, 1945

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2023

का.आ. 3379(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 555 (अ), तारीख 17 फरवरी, 2015 के द्वारा अधिसुचना जारी की थी;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना में संशोधन करना जनहित में आवश्यक और उचित है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) में उपबंध है कि जब भी केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना जनहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्या का.आ. 555(अ) तारीख 17 फरवरी, 2015 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना जनहित में है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पिठत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv), के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में

4868 GI/2023 (1)

का.आ. सं. 555(अ) तारीख 17 फरवरी, 2015 के द्वारा प्रकाशित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

## उक्त अधिसूचना में-

- (i) पैरा 2 में, उप-पैरा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा: अर्थात:-
  - "(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए, इस संशोधित अधिसूचना के प्रकाशन से दो वर्ष की अविध के भीतर, स्थानीय लोगों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दी गई शर्तों का पालन करते हुए एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी'.
- (ii) पैरा 3 के उप-पैरा (11) में, " और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमोदन" शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (iii) पैरा 5 के उप-पैरा (3) में, "भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, गोवा, शब्द रखे जाऐगे।

[फा. सं. 25/33/2013-ईएसजेड-आरई]

डॉ. एस. करकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 555(अ), तारीख 17 फरवरी, 2015 के द्वारा प्रकाशित की गई थी;

# MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2023

**S.O. 3379(E).**—Whereas the Central Government, in exercise of the power conferred by sub section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (ii), *vide* number S.O 555(E), dated the 17<sup>th</sup> February, 2015;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

And whereas sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O 555(E), dated the 17<sup>th</sup> February, 2015;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O 555(E), dated the 17<sup>th</sup> February, 2015, namely:-

In the said notification,-

(i) in paragraph 2, for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

- "(1) The State Government shall, prepare a Zonal Master Plan, for the purpose of the Eco-sensitive Zone, in consultation with local people and in accordance with this notification, within a period of two years from the date of publication of this amendment notification".
- (ii) in paragraph 3, in sub-paragraph (11), the words, "approved by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change", shall be omitted;
- (iii) in paragraph 5, in sub-paragraph (3), after the words, "Ministry of Environment, Forest and Climate Change", the words "or the State Environment Impact Assessment Authority, Goa, as the case may be," shall be inserted.

[F. No. 25/33/2013-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist 'G'

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 555(E), dated the 17th February, 2015.